



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271976  
CG-DL-E-22042026-271976

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1922]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1922]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 1993(अ).— ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (2025 का 32) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा,—

- (क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में साइबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारी; या
- (ख) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में कोई नोडल साइबर सेल अधिकारी, जिसमें पुलिस थाना, जिला या आयुक्तालय स्तर पर नियुक्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

को उक्त अधिनियम के तहत अपराधों का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एए-11018/1/2025-सीएल एवं ईएस]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

**S.O. 1993(E).**— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 (32 of 2025), the Central Government hereby authorises,—

- (a) a police officer in charge of a cyber cell in a State and Union territory; or
- (b) any nodal cyber cell officer in the State Government or Union territory administration, including those at the level of police station, district or commissionerate;

to investigate offences under the said Act.

[F. No. AA-11018/1/2025-CL&ES]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.